अंतरिम बजट 2004-2005

वित्त मंत्री

श्री जसवन्त सिंह

का

भाषण

3 फरवरी, 2004

I. प्रस्तावना

अध्यक्ष महोदय,

1. मैं राजकोषीय वर्ष 2004-05 के एक हिस्से के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसके लिए लेखानुदान का अनुरोध किया जाता है ताकि सरकार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके और वर्ष 2004-05 के पहले चार महीनों के दौरान सभी अनिवार्य व्ययों को पूरा कर सके। परन्तु यहां प्रस्तुत अनुदान-मांगें और वार्षिक वित्तीय विवरण संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए हैं, यद्यपि जैसाकि आमतौर पर होता है नियमित बजट पेश करते समय इन्हें संशोधित किया जा सकता है। मैं वित्त विधेयक भी पेश कर रहा हूं ताकि विद्यमान कर-संरचना को इस समय जारी रखा जा सके।

2. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व में यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए) सरकार का लगातार सातवां बजट है। इस अवसर पर मैं देश एवं सदन के साथ हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर महान संतोष की भावना को व्यक्त करता हूं और भारत की जनता के सहयोग, समर्थन और प्रोत्साहन के प्रति हमारा हार्दिक आभार भी प्रकट करता हूं जो उन्होंने एन.डी.ए. और इसकी सरकार को निरन्तर रूप से और खुले दिल से प्रदान किया। देश की वृहद-आर्थिक स्थिति आज काफी बेहतर है जो पिछले पचास वर्षों में कभी नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी इस बात को काफी अधिक और व्यापक मान्यता मिल रही है कि भारत राष्ट्रीय प्रयत्नों के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और इसने सुनिश्चित वृद्धि और अधिक राष्ट्रीय समृद्धि के साथ स्थिर अर्थव्यवस्था विकसित कर ली है।

II. एन.डी.ए.: आर्थिक नीति - प्रयत्न एवं उपलब्धियां

3. सरकार ने नागरिकों के कल्याण को अपने उत्तरदायित्वों में निरंतर अति महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हमारी "पांच-प्राथमिकताओं" का अनुपालन जारी है। हमारे नागरिकों के जीवन

से जुड़ी समस्याओं के समाधान, रोजगार बढ़ाने, गरीबी उन्मूलन, कृषि में दूसरी हरित क्रान्ति, आधार-संरचना का विकास, राजकोषीय मजबूती और विनिर्माण क्षेत्रक की अधिक कार्यकुशलता के लक्ष्य हमारी हार्दिक वचनबद्धताएं हैं।

4. महोदय, हम इस बात को मानते हैं कि यह दोनों बातें आवश्यक हैंः भारत के पुनरुत्थान का दृष्टिकोण और साथ ही साथ एक जागृति जिससे हमारे देश के कमजोर वर्गों को गरीबी से मुक्त किया जा सके। हमारा मानना है कि आर्थिक विकास केवल अर्थशास्त्र के बारे में ही नहीं है बल्कि इसके साथ-साथ हमेशा इसका एक राजनैतिक पहलू भी है क्योंकि जो "विकास" संवेदना एवं सहानुभूति रहित हो वह यथार्थ रूप में विकास नहीं कहा जा सकता। वास्तव में वृद्धि के आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हैं, वह अनिवार्य साधन हैं, परन्तु उन्हें ऐसे संकेतक होना चाहिए जो सभी के लिए न्याय प्रदान करने में हमारी मदद कर सकें। इसी कारण "सकल-राष्ट्रीय संतोष" एक उत्प्रेरक की तरह महत्वपूर्ण है जो राष्ट्रीय प्रयत्न बढ़ाने को प्रेरित करता है। राष्ट्रीय संतुष्टि एवं खुशहाली प्राप्त करने के लिए ही लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाए जाते हैं "गरीब के पेट में दाना, गृहिणी की टुकिया में अन्ना"। महोदय, भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाना चाहिए और हम यह कह सकते हैं कि यही हमारा राष्ट्रीय भविष्य है, देश के भविष्य निर्माण के लिए सेवा करना सरकार के लिए सम्मान की बात है और यह इसका परम कर्त्तव्य है। हमारे राष्ट्रीय आर्थिक उद्देश्य इसी भावना से प्रेरित हैं।

5. अध्यक्ष महोदय, चालू वर्ष में आर्थिक वृद्धि के संकेतक काफी उत्साहजनक हैं। मुद्रास्फीति की 4 से 4.5 प्रतिशत तक की दर के साथ, इस वर्ष हम यह आशा करते हैं कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.5 और 8 प्रतिशत के बीच होगी। यद्यपि इस समय उच्च वृद्धि के अनुमान किए गए हैं परन्तु हम उपर्युक्त आंकड़ों से अधिक की बात अभी नहीं करना चाहते। वृद्धि का यह स्तर अत्यधिक संतोष का विषय है। महोदय, रोजगारों में बढ़ोतरी हुई है परन्तु इसी तरह लोगों की आशाएं भी बढ़ती गई हैं। हमें इस चुनौती का सामना करना चाहिए। आधार-संरचना में बड़े प्रयत्नों ने तुरंत रोजगार के अनेक स्तर पहले ही उत्पन्न किए हैं, साथ ही साथ संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों के व्यापक क्षेत्र में अतिरिक्त अच्छे रोजगारों की बुनियाद भी डाली गई है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। 19 दिसम्बर, 2003 को हमारे विदेशी मुद्रा भंडार ने 100 बिलियन अमरीकी डालर का स्तर पार कर लिया था। इसमें वृद्धि जारी है और हमें कमी की मानसिकता से छुटकारा मिल रहा है। अधिक पारदर्शिता और नागरिकों के साथ आवश्यक सूचना की साझेदारी के लिए विदेशी मुद्रा रिजर्व पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) की पहली रिपोर्ट आज जारी की जा रही है। इसे मंत्रालय एवं आर.बी.आई. की वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है।

6. महोदय, नियंत्रित मुद्रास्फीति, गिरती हुई ब्याज दरों और सुदृढ़ पूंजी बाजार के कारण हमारी अर्थव्यवस्था त्वरित वृद्धि की दिशा में चल रही है। इसे और आगे प्रोत्साहित करना हमारा उत्तरदायित्व है। अतः हमारी वृहद आर्थिक नीति के मूल सिद्धांतों के संरक्षण पर अधिक ध्यान देना होगा। अर्थव्यवस्था का प्रबंधन एक सतत उत्तरदायित्व है, प्रशासन न तो रुक सकता है न बन्द हो सकता है और पूर्ण सुदृढ़ीकरण तथा वृद्धि की गति निरंतर बढ़ाने के उपाय हमेशा समय पर ही किए जाने चाहिए। केवल इसी प्रकार से हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लक्ष्य को साकार कर सकते हैं जिसकी हम स्वतंत्रता के समय से ही कल्पना करते आ रहे हैं।

III. पहलें एवं भावी योजना

सुधार उपाय

अंत्योदय अन्न योजना

7. प्रधानमंत्री द्वारा दिसम्बर, 2000 में चलाई गई अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत इस समय गरीबी की रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के 1.5 करोड़ परिवार शामिल हैं। यह एक अत्यधिक सफल कार्यक्रम है जिसकी व्यापक रूप से प्रशंसा हुई है। यह प्रत्यक्ष रूप से गरीबी का उपशमन करता है और पोषण संबंधी कमी दूर करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब 2 करोड़ बी.पी.एल. परिवारों को शामिल करके इसका विस्तार किया जा रहा है। ऐसा करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके अंतर्गत जनजातीय राज्य, जिले या बेल्ट्स को अधिक हिस्सा मिले। इसे 1 अप्रैल, 2004 से लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

8. गरीबी और बीमारियों का परस्पर संबंध है। निजी क्षेत्रक में विशेषज्ञ सेवाओं वाले अस्पताल हमारे अनेक नागरिकों की पहुंच से बाहर हैं। अतः प्रधानमंत्री ने पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.) की तरह सरकारी क्षेत्रक में छः अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की थी। इस "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे छः नए अस्पतालों को बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल में स्थापित किया जाएगा। माननीय सदस्यों को अवश्य ज्ञात होगा कि 1956 से किसी भी सरकार द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे किसी भी दूसरे अस्पताल की स्थापना नहीं की गई। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अधीन आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के इन छः राज्यों में प्रत्येक में एक-एक मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ाकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.) के स्तर का बनाया जाएगा।

9. मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन दोनों स्कीमों के लिए इस बजट में ही प्रावधान कर लिया गया है।

ग्रामीण

10. सरकार हमारे किसानों तथा ग्रामीण भारत में रह रहे अन्य नागरिकों को सुविधाजनक दरों पर समय पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वचनबद्ध है। इस उद्देश्य हेतु, निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए जाएंगेः-

- जुलाई, 2003 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा **फसल ऋणों पर ब्याज की दर** घटाकर 9 प्रतिशत करने की घोषणा की गई थी। नाबार्ड अधिनियम में भी उपयुक्त संशोधन किया गया। मैं भारतीय बैंक संघ से आग्रह कर रहा हूं कि कृषि उद्देश्यों हेतु ब्याज दरों में और कमी लाएं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों ने पहले ही ब्याज दरें घटा दी हैं। मुझे विश्वास है कि अन्य बैंक भी वर्तमान में मौजूद ऋणों की ब्याज दरों में कमी करेंगे।
- पारम्परिक रूप से बैंक कृषि पर ऋण प्रदान करने हेतु अपेक्षाकृत अधिक प्रतिभूति मांगते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि प्रयोजनों हेतु अग्रिम राशि प्राप्त करने हेतु बैंक उधारकर्ता किसान पर संपूर्ण **जोत** को प्रतिभूति के रूप में **बंधक रखने** हेतु दबाव डालते हैं। इसलिए अब बैंकों को सलाह दी जा रही है कि वह किसान विशेष की ऋण क्षमता का मूल्यांकन करें और संपूर्ण जोत को बंधक रखकर उसके जरिए

अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु दबाव न डालें। सैद्धांतिक तौर पर, संपार्श्विक प्रतिभूति ऋण के मूल्य के समानुपात में होनी चाहिए।

- **फसल ऋण खातों** के मामले में **अनर्जक परिसंपत्तियों** से संबंधित व्यवस्थाओं के निर्धारण से ऐसे किसानों को ऋण प्रदान करने की व्यवस्था में समस्याएं पैदा हुई हैं जहां कृषि आय की मौसम निर्भरता और अनिश्चितता को पूर्ण रूप से नहीं समझा गया है। डा. वी.एस. व्यास, जो एक प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक हैं, की अध्यक्षता में इस मुद्दे के समाधान हेतु एक समिति का गठन किया गया है। 90 दिनों के अंदर उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की जाएगी।
- मुझे विश्वास है कि सभी पात्र किसान 31 मार्च, 2004 तक अपना **किसान क्रेडिट कार्ड** प्राप्त कर लेंगे। ग्रामीण भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी विकास के लाभ प्रदान करने हेतु मौजूदा किसान क्रेडिट कार्डों को इसके बाद व्यक्तिगत अनुरोध पर ए.टी.एम. मशीनों पर उपयोग हेतु, जहां कहीं भी ऐसी सुविधा उपलब्ध है, संशोधित किया जाएगा।
- कृषि मंत्रालय द्वारा 20 जिलों में प्रायोगिक आधार पर एक **कृषि आय बीमा योजना** शुरु की गई है। इसका आगामी खरीफ मौसम से देश के 100 जिलों में विस्तार किया जाएगा। इसका ब्यौरा कृषि मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाएगा।
- **स्वयं-सहायता समूहों** (एस.एच.जी.) को उल्लेखनीय रूप से सफलता मिली है लेकिन देश के केवल कुछ राज्यों में ही ऐसा हुआ है। अतः नाबार्ड से उन राज्यों में जहां इस कार्यक्रम को अभी गति पकड़नी है, एक विशेष संवर्धनात्मक अभियान शुरू करने के लिए कहा गया है। इसके पहले चरण में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में एक गहन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के बैंक भी दूसरे राज्यों में इस प्रयास में सहयोग करेंगे।
- **चाय** एक महत्वपूर्ण कृषि-प्रसंस्करण उद्योग है जिसमें उत्तरी बंगाल, असम, पूर्वोत्तर और कुछ दक्षिणी राज्यों के हमारे लोग बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। इस समय यह उद्योग बहुत सी समस्याओं से घिरा हुआ है। इसीलिए मैंने भारतीय बैंक संघ को एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने का काम सौंपा है। इसे अब अंतिम रूप दिया गया है। इसके लिए एक विशेष चाय सावधि ऋण दिया जाएगा जिसे एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित पांच वर्ष में वापस अदा किया जा सकेगा। छोटे चाय उत्पादकों के मामले में बैंक 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर नए सिरे से कार्यशील पूंजी की सीमा 2 लाख रुपए तक करने को राजी हो गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, **चाय बागान** क्षेत्र में एक ऋण सुधार योजना की व्यवहार्यता की जांच करने के कदम भी उठाए जाएंगे।
- देश का एक अन्य प्रमुख कृषि-प्रसंस्करण उद्योग, **चीनी** है जो बड़ी संख्या में रोजगार जुटाता है, परंतु इस समय यह अनेक जटिल समस्याओं के जाल में फंसा हुआ है। अतः सरकार सभी शेयरधारकों के परामर्श से इस उद्योग के पुनरोत्थान के लिए एक पैकेज तैयार करेगी। इस बीच, एक अस्थाई राहत के उपाय के रूप में बैंकों सहित ऋणदाता एजेंसियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के परामर्श से चीनी कारखानों द्वारा लिए गए ऋणों को पुनर्संरचित करने की जांच की जाएगी।

11. सहकारी बैंकों ने ग्रामीण ऋण प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनकी भी बहुत सी समस्याएं हैं, जिनसे वाजिब ब्याज की दरों पर कर्ज देने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। सहकारी ऋण ढांचे में नई जान डालने के लिए एक योजना तैयार की गई है जिसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपए का परिव्यय परिकल्पित है और जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच एक उचित अनुपात में हिस्सेदारी होगी। इस योजना को एक संशोधित विनियामक ढांचे के अमल में आते ही शुरु करने का प्रस्ताव है।

पशुधन विकास

12. पशु हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अति महत्वपूर्ण अभिन्न अंग हैं। इस आर्थिक धंधे के समूचे दायरे, जैसे पशुपालन, दुग्ध उद्योग, भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार उपयुक्त बजटीय सहायता से एक राष्ट्रीय पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना पर विचार करेगी।

लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड

13. लघु और स्वरोजगारयुक्त उद्यमों के विकास को और प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड स्कीम को उदार बनाने के उपाय किए गए हैं जिससे छोटे और मझोले उद्यमियों के लिए बैंक ऋण लेना आसान हुआ है। अब, भारतीय बैंक संघ के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी बैंक उन उधारकर्ताओं के लिए, जिनका पिछला रिकार्ड संतोषजनक रहा हो, उनके कार्डों की ऋण-सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करेंगे। बैंकों को यह संशोधित योजना 1 मार्च, 2004 से लागू करने की सलाह दी जा रही है।

स्टाम्प शुल्क सुधार

14. राज्य सरकारों के परामर्श से समूची शुल्क व्यवस्था के व्यापक सुधार की योजना तैयार की जा रही है क्योंकि अधिक स्टाम्प शुल्क से लेन-देन की लागतें बढ़ती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में रुकावटें आती हैं। इस बीच सरकार ने ऐसी सभी लिखतों पर स्टाम्प शुल्क घटाने का निर्णय किया है, जहां दरें निर्धारित करने का प्राधिकार केन्द्र सरकार का है। पहले कदम के रूप में और पहली कटौती के तौर पर केन्द्रीय सरकार के सभी स्टाम्प पेपरों पर मौजूदा स्टाम्प शुल्क ढांचे को आधा किया जा रहा है अर्थात् इसमें 50 प्रतिशत की कमी की जा रही है। जहां तक प्राप्तियों पर शुल्क का प्रश्न है, यहां भी स्टाम्प शुल्क के भुगतान की आरंभिक सीमा 500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की जानी है। परन्तु इस अंतिम सुधार के लिए इस अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है, अतः इसे इस अवस्था में शुरु नहीं किया जा सकता है।

विशेष क्षेत्र

द्वीप क्षेत्र

15. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में निकोबार जिला हमारे सबसे दूर के जिलों में से एक है। ये द्वीप समुद्र से पार काफी दूरियों पर अलग-अलग स्थित हैं और अपेक्षाकृत दुर्गम्य हैं। अतः निकोबार द्वीपसमूह में, वहां तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2004 से मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर पर दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा।

16. निर्माण की उच्च लागत के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में प्रचलित अधिक मकान किरायों के कारण और प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है कि पोर्ट ब्लेयर का दर्जा मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु "सी" से बढ़ाकर "बी-1" श्रेणी का कर दिया जाए। इसके साथ ही अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों और सम्पूर्ण लक्षद्वीप

संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा भी इस भत्ते के भुगतान के प्रयोजन हेतु उनके मौजूदा "अवर्गीकृत" से बढ़ाकर "सी" वर्ग का कर दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप संघ राज्य क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के अन्य सभी क्षेत्रों और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में भी मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा। गोवा राज्य का दर्जा भी, मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु 1 अप्रैल, 2004 से "सी" से बढ़ाकर "बी-1" किया जा रहा है।

मरुस्थली क्षेत्र

17. देश के मरुस्थली क्षेत्र कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश या तो सीमावर्ती जिले हैं अथवा उनसे सटे हुए हैं। पिछले वर्ष मैंने राजस्थान के मरुस्थली जिलों में पारंपरिक चारागाहों के पुनर्स्थापन और विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम "मरु गोचर योजना" घोषित की थी। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए खुशी है कि इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन आरंभ हो चुका है। मैं अब हमारे मरुस्थलों में आजीविका के स्थायी साधनों की समस्या को दूर करने के शासनादेश के साथ मरुस्थली क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु एक टास्क फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं। यह टास्क फोर्स सभी प्रासंगिक वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा, कमियों की पहचान करेगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को परिभाषित करेगा और उपयुक्त सिफारिश करेगा। यह किसी एक मरुस्थली जिले में एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की जांच करेगा और इस बारे में अपनी सिफारिशें देगा।

18. इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर दशकों से मन्थर गति से काम चल रहा है और यह वर्ष-दर-वर्ष मरुस्थल से होकर धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। इसके पूरा होने में असाधारण देरी और हमारे मरुस्थली इलाकों में पानी के सर्वाधिक महत्व पर विचार करते हुए, इस नहर परियोजना के काम में इसके बाद एक नई केन्द्र-राज्य पहल के जरिए तेजी लाई जाएगी जिसमें निधिपोषण की अतिरिक्त और नई व्यवस्था होगी। इसी तरह नर्मदा नहर के राजस्थान में विस्तार हेतु भी वित्त मंत्रालय राजस्थान सरकार के साथ एक योजना तैयार करेगा और इसे जल्दी पूरा करने के लिए इसके वित्तपोषण में सहायता करेगा।

कच्छ और इसके निकटवर्ती जिले

19. इस समय गुजरात के कच्छ जिलों में 31 जुलाई, 2001 से 31 जुलाई, 2004 तक की अवधि के दौरान स्थापित नई औद्योगिक इकाइयां जो 31 जुलाई, 2004 को या इससे पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करती हैं, उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं। ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ अधिक समय देने के उद्देश्य से, मैं इन नई इकाइयों की स्थापना के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2004 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2004 कर रहा हूं। उत्पाद शुल्क से छूट की अवधि वाणिज्यिक उत्पाद शुरू होने की तारीख से पांच वर्ष बनी रहेगी।

महानगरों में जल की कमी

20. इस सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में स्वच्छ पेयजल की सुनिश्चित आपूर्ति के महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान देने के लिए कई पहलें की गई हैं। महानगरों को अब तक इस कमी को या तो स्वयं के नगरीय संसाधनों से या उनकी संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त सहायता के बल पर दूर किया जाता था। अतिरिक्त आपूर्ति उपायों की तुलना में, जल की आवश्यकता और मांग अधिक तेजी से बढ़ी है। इसलिए प्रधान मंत्री ने बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली तथा हैदराबाद जैसे महानगरों के लिए एक त्वरित पेयजल आपूर्ति योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। महानगरों में अवसंरचना विकास हेतु मौजूदा केन्द्रीय योजना के लिए प्रावधान को अवसंरचना निधि, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा ऐसे ही अन्य निधिकरण स्रोतों के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा

संबंधित ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह योजना 1 मार्च, 2004 तक प्रचालन में आ जाए।

कन्वेंसन सेंटर

21. सरकार ने अब विश्व स्तर के चार अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंसन सेंटर्स, जिनकी स्थापना निजी-सरकारी सहभागिता से की जाएगी, के लिए स्थानों का चयन कर लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि इन में से दो केन्द्र दिल्ली और मुबंई के महानगरों में तथा एक-एक केन्द्र गोवा और राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे। गोवा तथा राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं लेकिन इनके लिए और अधिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता है। इससे, गोवा भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों के आयोजन हेतु उपयुक्त सुविधाएं प्रदान कर सकेगा। जयपुर में कन्वेंसन सेंटर प्रभावी रूप से कार्य कर सके, इसके लिए जयपुर के हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इनके बारे में शीघ्र ही ब्यौरों की घोषणा की जाएगी।

विकास वित्त

22. विकास वित्त का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) के पुनरूद्धार तथा पुनर्संरचना संबंधी उपायों पर पहले से ही कार्य चल रहा है। संसद के आदेश के अनुसार, वित्त मंत्रालय एक विकास वित्त संस्थान के रूप में आई.डी.बी.आई. की भूमिका के परिरक्षण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

23. मौजूदा आर्थिक विकास प्रणाली के लिए सतत तथा संवर्धित निवेश की आवश्यकता है। इसके लिए उपयुक्त दरों पर तथा एक समन्वित तरीके से समय पर धनराशि उपलब्ध करवानी होगी। चूंकि, पुनर्गठित आई.डी.बी.आई. के पास अपेक्षित विशेषज्ञता है और उसे परियोजना मूल्यांकन, निधिकरण तथा समन्वय का अनुभव भी है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि आई.डी.बी.आई. को प्रमुख विकासात्मक वित्त संस्था के रूप में नामित किया जाए। इस कार्य के लिए सरकार आई.डी.बी.आई. को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। आई.डी.बी.आई. के प्रयासों को पूरा करने में अन्य प्रमुख संस्थाओं तथा बैंकों जैसे अवसंरचना विकास वित्त निगम तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

24. इसी प्रकार, अनर्जक परिसंपत्तियों को एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी में अंतरित करके तथा एक बड़े सरकारी बैंक में विलय करके भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई) को पुनर्गठित किया जाएगा। अपने रूपांतरण के पश्चात्, ये दोनों संस्थान आई.डी.बी.आई. तथा आई.एफ.सी.आई. नए वित्तीय वर्ष में कार्य करने लगेंगे।

अन्य योजनाएं

25. कृषि अवसंरचना तथा ऋण निधि, लघु और मध्यम उद्यम निधि तथा औद्योगिक अवसंरचना निधि शीघ्र ही कार्यशील हो जाएंगी। ये तीनों निधियां, वित्तीय विवेक संबंधी मानदंडों से समझौता किए बिना, अधिक प्रतियोगी दरों पर ऋण उपलब्ध कराएंगी जिसके न्यूनतम उधार दर (पी.एल.आर.) से 2 प्रतिशतांक कम होने का अनुमान है।

26. मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि कृषि अवसंरचना तथा ऋण निधि द्वारा बंजरभूमि विकास, मौजूदा लेकिन अधूरी लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई के नए निर्माण कार्यों को पूरा करने, कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण, प्रमाणन तथा भंडारण तथा आधुनिक बूचड़खानों के निर्माण जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु ऋण-सहायता प्रदान की जाएगी। इस

निधि को **'लोक नायक जय प्रकाश नारायण निधि'** नाम दिया जाएगा। इसी प्रकार, लघु तथा मध्यम उद्यम निधि द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उच्च प्रतियोगी दरों पर वित्तीय संसाधनों की कमी तथा कुछ मझोले उद्यमों के लिये सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) की सेवाओं का विस्तार न होने जैसी समस्या का निवारण किया जाएगा। औद्योगिक अवसंरचना निधि विद्युत उत्पादन, समुद्रपत्तनों, विमानपत्तनों, सड़कों, पर्यटन, दूरसंचार तथा नगर पालिका सेवाओं, जल आपूर्ति, मल-जल निकास तथा पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं जैसी शहरी अवसंरचना हेतु उच्च प्रतियोगी दरों पर ऋण प्रदान करेगी।

रक्षा आधुनिकीकरण निधि

27. रक्षा संबंधी खरीद प्रक्रिया में प्रायः तीन वर्ष से अधिक समय लग जाता है। इतनी अवधि के दौरान, रक्षा आधुनिकीकरण तथा हथियार प्रणाली खरीद के लिए पर्याप्त तथा वचनबद्ध निधियों की उपलब्धता के संतोषजनक समाधान की आवश्यकता होती है। तद्नुसार 25,000 करोड़ रुपए की राशि वाली एक अव्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण निधि की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इससे, उक्त प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। रक्षा मंत्रालय को यह निधि नए वित्तीय वर्ष से प्रदान कर दी जाएगी।

कर्मचारी कल्याण

28. पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जब मंहगाई भत्ता, वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो उसका मूल वेतन के साथ विलयन कर दिया जाना चाहिए। इस समय, मंहगाई भत्ता वेतन का 59 प्रतिशत है। सरकार ने इस सिफारिश पर गहन पुनर्विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया है कि वेतन के 50 प्रतिशत तक के मंहगाई भत्ते का मूल वेतन के साथ विलयन कर दिया जाएगा। यह निर्णय 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा।

प्रत्यक्ष कर

29. आय कर प्रक्रिया में कुछ अनिवार्य परिवर्तनों के कारण आय कर अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। हालांकि, अधिनियम में अभी किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है लेकिन सरकार की यह धारणा है तथा हमारी वचनबद्धता है कि

- विद्युत क्षेत्र में नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध राजकोषीय लाभ 2006 तक की अवधि की बजाए 2012 तक के लिए बढ़ा दिए जाएं तथा ये लाभ राज्य बिजली बोर्डों से अधिकार में लिए गए (टेक-ओवर) मामलों में भी उपलब्ध कराये जाएं।
- 1 मार्च, 2003 को अथवा इसके पश्चात अधिग्रहीत सूचीबद्ध इक्विटियों को प्रदत्त दीर्घावधिक पूंजीगत अनुलाभ कर से छूट की व्यवस्था को और तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए जिससे स्थायित्व प्रदान किया जा सके।
- विश्व नौवहन टनभार के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर कराधान की बहुत निम्न दरें लागू होती हैं। एक ऐसा समान स्तर प्रदान करने के लिए जिससे भारतीय नौवहन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का मुकाबला कर सके, निवल पंजीकृत टनभार के आधार पर, एक निश्चित दर पर कल्पित आय के साथ एक टनभार कर योजना पर विचार किया जाना चाहिए।
- जब सरकार द्वारा किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहीत की जाती है तो पूंजीगत अनुलाभ तथा बढ़ाये गये मुआवजे पर संचित ब्याज पर कर लगाए जाने के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकार का मानना है कि ऐसे

अधिग्रहण से मिलने वाले पूंजीगत अनुलाभ को कर से मुक्त रखा जाना चाहिए। ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए वर्धित मुआवजे पर अर्जित ब्याज के संबंध में भी स्रोत पर कर की कटौती नहीं होनी चाहिए।

30. कारोबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.) के अंतर्गत रोजगार सृजन की संभावनाएं हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि ये विदेशी-स्रोत सेवाएं, अनुषंगी और सहायक किस्म की हैं तथा भारतीय काल सेंटरों को समुचित पारिश्रमिक की अदायगी की जाती है तो भारत में कार्यरत विदेशी-स्रोत वाली कंपनी पर कर नहीं लगाया जाएगा। यह नीति आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) के मानदंडो तथा दोहरे कराधान से बचने के समझौतों के अनुरूप है।

31. सरकार का यह भी दृढ़ विश्वास है कि वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु जिनका कर अनुपालन में निःसन्देह सर्वोत्कृष्ट रिकार्ड रहा है, आय कर प्रयोजन हेतु मानक कटौती के संशोधन के मुद्दे पर अब नए सिरे से विचार किया जाए। इसके अलावा, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं की परिवार पेंशन पर कर की समीक्षा करना भी जरुरी है ताकि वे एक प्रतिष्ठा का जीवन व्यतीत कर सकें। हमें मौजूदा छूट सीमाओं की समीक्षा करने और उन्हें नए सिरे से उपयुक्त तरीके से पुनः निर्धारित करने की भी आवश्यकता है।

अप्रत्यक्ष कर

32. विकास प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने हेतु, सरकार ने पहले ही 8 जनवरी, 2004 को कुछ उपायों की घोषणा की है। ये उपाय सामयिक तथा आवश्यक थे, मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा।

पूंजीगत सामान

33. हमारे घरेलू उद्योग को आयातित पूंजीगत सामानों से प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु जिन पर अभी 10 प्रतिशत का प्राथमिक सीमाशुल्क लगाया जाता है, मैंने ऐसे शुल्क को अनेक कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा उनके विनिर्माण हेतु संघटकों पर पहले ही घटा दिया है। इसकी वजह से विसंगति दूर हुई है।

34. एक सुझाव यह भी आया है कि जहां कहीं आयातित पूंजीगत सामान पर प्रतिकारी शुल्क से छूट दी गई है, वहां स्वदेश में निर्मित ऐसे ही पूंजीगत सामान को भी सम निर्यात लाभ प्रदान किये जाने चाहिए। जहां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से अधिप्राप्ति की जाती है, ऐसी विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के सम्बन्ध में निर्यात लाभ प्रदान करने की एक स्कीम पहले से अस्तित्व में है। फिर भी वित्त मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय से परामर्श कर इस सुझाव की जांच करेगा ताकि घरेलू विनिर्माताओं के लिए एक समान अवसर प्रदान किया जा सके।

विद्युत

35. विद्युत क्षेत्र निवेश तथा सुधारों से सम्बन्धित कार्यबल ने विद्युत क्षेत्र हेतु प्रतिकारी शुल्क को केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर योग्य बनाने की सम्भावना का पता लगाने की सिफारिश की है। इस सुझाव की भी जांच की जाएगी।

36. पिछले बजट में, विद्युत उत्पादन हेतु अवशिष्ट ईंधन तेल पर उत्पाद शुल्क से छूट, जो विद्युत अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत केवल लाइसेंस प्राप्त इकाइयों को ही उपलब्ध थी, का विस्तार विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त उत्पादन कम्पनियों के लिये भी किया गया था। यह अनुरोध किया गया है कि 1948 के अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त इकाइयों पर इस छूट को अब पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाए यदि कभी विद्युत की आपूर्ति

राज्य विद्युत बोर्डों को की गई थी और इसकी उत्पादन लागत विद्युत खरीद करारों द्वारा शासित की गई थी। मेरा यह मानना है कि इस प्रकार की पूर्वव्यापी छूट हेतु एक उपयुक्त विधायी उपाय पर विचार किया जाना चाहिए।

सामान नियमावली

37. हमारे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों के आगमन हॉलों में स्थित सीमाशुल्क काउंटरों पर भीड़भाड़ को और कम करने हेतु निःशुल्क सामान छूट को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जा रहा है। ऐसे सामान पर सीमाशुल्क भी 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है। यह आज से प्रभावी होगा।

प्रयोक्ता अनुकूल कर प्रशासन

38. सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग और अपेक्षाकृत कम अनुपालन लागतों वाली, मनमानी-रहित, निष्पक्ष प्रणाली के माध्यम से उन्नत कर प्रशासन की ओर बढ़ना जारी रहना चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुझे निम्नलिखित घोषणाएं करते हुए प्रसन्नता हो रही हैः-

- सामानों की निकासी हेतु सीमाशुल्क दस्तावेजों की इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग, जो इस समय चौबीसों घंटे 9 सीमाशुल्क केन्द्रों में उपलब्ध है, को 31 मार्च, 2004 तक 23 केन्द्रों में लागू कर दिया जाएगा;
- 30 जून, 2004 से सीमाशुल्क निकासी स्वन्मूल्यांकन तथा चुनिंदा परीक्षण पर आधारित होगी;
- बेहतर पारदर्शिता लाने, वर्गीकरण सम्बन्धी विवाद से बचने तथा सीमाशुल्क और निर्यात-आयात नीति वर्गीकरण के साथ सीमाशुल्क के वर्गीकरण का सामंजस्य बैठाने हेतु 30 सितम्बर, 2004 तक सीमाशुल्क लगाने के लिए एक 8-अंकीय सामान कूट वर्गीकरण को अपनाया जाएगा;
- विवादों के शीघ्र निपटान हेतु संघ उत्पाद नियमावली के अन्तर्गत अपराधों का प्रशमन 30 जून, 2004 से प्रारम्भ किया जाएगा; और
- उत्पाद शुल्क की स्वचालित प्रक्रिया को बढ़ाने तथा राजस्व खातों के बेहतर मिलान हेतु 30 जून, 2004 से उत्पाद शुल्क विवरणियों की ई-फाइलिंग प्रणाली प्रारम्भ की जाएगी।

सेवा कर

39. राजस्व के एक विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सेवाओं पर कर लगाने हेतु संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पहले ही चल रही है। अन्तरिम तौर पर, सेवा कर पिछले बजट में सात नई सेवाओं पर लगाया गया था। विवरणियां भरने को सरल बनाने तथा राजस्व के इस महत्वपूर्ण स्रोत के अन्तर्गत अनुपालन लागत को घटाने के लिए, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2 जनवरी, 2004 से -

- सेवा कर के लिए पंजीकरण की अनुमति प्रदान करने हेतु केवल एक सामान्य सत्यापन की प्रक्रिया अपनायी जा रही है।
- एक से अधिक कराधेय सेवा देने वाले मूल्यांकितियों के लिए एकल पंजीकरण और एकल विवरणी है; और

- विवरणियों की ई-फाइलिंग और इनकी इलैक्ट्रानिक जांच का विस्तार भी 10 सेवाओं से सभी 58 कर योग्य सेवाओं तक करते हुए सेवा कर स्वचालन को बढ़ाया गया है।

IV. संशोधित और बजट अनुमान

40. मैं अब सदन को चालू वर्ष के साथ-साथ 2004-05 के हमारे हिसाब किताब की मुख्य बातों के बारे में सूचित करना चाहूंगा।

वर्ष 2003-2004 के संशोधित अनुमान

41. बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान, व्यय में 11,143 करोड़ रुपए की निवल कमी दर्शाते हैं। व्यय में यह कमी ग्रामीण विकास, सर्व शिक्षा अभियान, दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना और रेलवे के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता संबंधी अतिरिक्त व्यय के बावजूद प्राप्त की गई है।

42. केन्द्र के निवल कर राजस्व 184,169 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 3,370 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 187,539 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। कर-भिन्न राजस्व 69,766 करोड़ रुपए के अनुमानित स्तर से 5,722 करोड़ रुपए अधिक होकर 75,488 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विनिवेश प्राप्तियां भी 13,200 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में अधिक अर्थात् 14,500 करोड़ रुपए हैं।

43. केंद्र की संशोधित राजस्व प्राप्तियां 263,027 करोड़ रुपए, राजकोषीय घाटा 132,103 करोड़ रुपए जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत है तथा राजस्व घाटा 99,860 करोड़ रुपए है जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 3.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

44. महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मानेंगे और इस तथ्य का अनुमोदन करेंगे कि सरकार ने बजटीय लक्ष्यों की तुलना में बेहतर कार्य निष्पादन करके राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के बारे में अपने संकल्प का प्रदर्शन किया है।

वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान

45. वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान में कुल व्यय 457,434 करोड़ रुपए अनुमानित है जिसमें 135,071 करोड़ रुपए आयोजना और 322,363 करोड़ रुपए आयोजना-भिन्न के लिए हैं।

आयोजना व्यय

46. एक ओर विकासात्मक आवश्यकताओं और दूसरी ओर राजकोषीय स्थायित्व के बीच सही संतुलन बनाए रखने के लिए वर्ष 2004-05 की आयोजना के लिए सकल बजटीय समर्थन 135,071 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 14,097 करोड़ रुपए अधिक है। इसमें से 81,367 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 9,215 करोड़ रुपए या 12.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। इसी तरह, राज्य आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता 53,704 करोड़ रुपए है जो पिछले वर्ष से 4,882 करोड़ रुपए अधिक है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी नई स्कीमों के लिए आवश्यकता हुई तो सरकार ऐसी स्कीमों के लिए अतिरिक्त आवंटन की व्यवस्था करेगी।

आयोजना भिन्न व्यय

47. वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान आयोजना-भिन्न व्यय में 16,218 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि दर्शाते हैं। यह वृद्धि मुख्यतया ब्याज भुगतान और ऋण शोधन (4,945 करोड़ रुपए), रक्षा (5,700 करोड़ रुपए), राज्य सरकारों को अनुदान एवं ऋण (4,110 करोड़ रुपए) और खाद्य सब्सिडी (2,600 करोड़ रुपए) में है।

राजस्व अनुमान और राजकोषीय घाटा

48. अध्यक्ष महोदय, इन प्रस्तावों के साथ मैं केन्द्र की 290,882 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्तियों और 136,452 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाता हूं जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत है तथा 89,860 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान करता हूँ जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत है।

V. निष्कर्ष

49. महोदय, मुझे जुलाई, 2002 में वित्त मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। मैंने यहां पर मात्र लगभग डेढ़ वर्ष कार्य किया है। इस अवधि के दौरान यह देखना मेरा विशेष कार्य रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिवर्ष 7.5 से 8 प्रतिशत के आसपास स्थिर और सशक्त रुप से वृद्धि के मार्ग पर बढ़ती रहे। यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा अपनाए गए सुधारों, इस मंत्रालय में मेरे पूर्ववर्ती माननीय श्री यशवंत सिन्हा के योगदान और सर्वाधिक रूप से प्रधानमंत्री वाजपेयी द्वारा दिये गये समर्थन व नेतृत्व के कारण संभव हुआ है।

50. श्री वाजपेयी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 19 मार्च, 1998 से पोखरन के बाद के आर्थिक प्रतिबंधों; पूर्व एशियाई संकट; कम से कम दो बड़े विनाशकारी तूफानों; अभूतपूर्व सूखे; भुज में विध्वंसकारी भूकंप; सीमा पर दो संघर्षों; आतंकवाद और विद्रोह की चुनौती; खाड़ी युद्ध; वैश्विक मंदी; तेल के मूल्यों की अस्थिरता तथा अनेक समस्याओं का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इन अनेक चुनौतियों के बावजूद, इस अवधि के दौरान सरकार राजकोषीय घाटा कम करके इसे सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत, राजस्व घाटे को 3.6 प्रतिशत पर ले आई तथा मुद्रा स्फीति के वार्षिक औसत को 4.8 प्रतिशत के आसपास नियंत्रित रखा। वर्ष 1998-2004 की अवधि के दौरान हमारा राजस्व संग्रहण लगभग 83 प्रतिशत बढ़ा, हमारे पूंजी बाजार सुदृढ़ हैं, यूटीआई बाजार में फिर अग्रणी है, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार 100 बिलियन डालर से अधिक के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचकर लगभग चार गुना हो गये हैं, इस अवधि में हमारा सकल घरेलू उत्पाद लगभग 40 प्रतिशत बढ़ा है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय संतोष, राष्ट्रीय विश्वास और बेहतर वृद्धि एवं विकास प्राप्त करने के हमारे सामूहिक संकल्प की जड़ें अब मजबूत हो गई हैं।

51. महोदय, मैं यह अंतरिम बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।